फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 118 प्रभात जयपुर, रविवार 29 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

epaper.rashtradoot.com



Antique Coal Irons

Little flickers of fire licking with long tongues from its eyes, one day, I remarked to my grandfather that Ravan's eyes must be like this

India Wins Visitors' Lion

The Letters That Went to Heaven

So, he wrote back. In careful, warm handwriting, he told the boy that everything was good in heaven

शिखर अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई ''रिलीफ'' नहीं मिली

18 नवम्बर, एसीबी ने एक एफआईआर शिखर अग्रवाल व गोयल फैशन्स के खिलाफ दर्ज कराई थी

- एफआईआर में दावा किया गया है, कि शिखर अग्रवाल ने गोयल फैशन्स के अनंता रिसॉर्ट्स से उदयपुर, अलवर व जयपुर में अक्टूबर 2023 व अक्टूबर 2026 के बीच 64 ''विला'' प्राप्त किए।
- तथा, इस तथाकथित ''अहसान'' के बदले कंपनी को शिखर अग्रवाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव व उसके पहले, उदयपुर के जिला कलैक्टर व राजस्थान के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मार्फत अनुचित लाभ पहुँचाए थे।
- राज्य के फाइनैंस डिपार्टमैंट ने 27 मार्च को ''कस्टमाइज़्ड'' पैकेज दिया और उसी दिन शिखर अग्रवाल व उनके परिवार के अन्य लोगों ने अजबगढ़, अलवर में बीस ''विला'' खरीदे, बहुत ही कम दामों पर।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को कथित भ्रष्टाचार के मामले में राहत देने से मना कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक रिसॉर्ट कंपनी को फायदा पहुँचाया और बदले में जयपुर, उदयपुर और अलवर में उसी कंपनी से 64 विला और कॉटेज खरीदे थे।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह अग्रवाल की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करे। इनमें अंतरिम राहत देने की मांग भी शामिल है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रवाल हाईकोर्ट में अंतरिम राहत के लिए अर्जी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि हाई कोर्ट का आदेश अंतरिम प्रकृति का है, इसलिए वे इसमें दखल नहीं दे रहे हैं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है और दोनों पक्षों को हाईकोर्ट में अपने सभी मुद्दे उठाने की छूट दी है।''

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ वकील और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए। वहीं, राज्य की ओर से भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा और अतिरिक्त महाधिवक्ता पद्मेश मिश्रा पेश हुए।

28 अक्टूबर को मीडिया में कथित भ्रष्टाचार की खबरें आने के बाद, राजस्थान सरकार ने अग्रवाल को ''अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर'' (एपीओ), यानी पोस्टिंग के इंतज़ार में रखा। तीस अक्टूबर को सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एंटी करप्शन ब्यूरो) की जांच को मंजूरी दी। इसके बाद 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी और आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी ''प्रशासनिक कारणों'' का हवाला देते हुए एपीओ पर रख दिया गया। कार्मिक विभाग ने इन दोनों को उनकी सम्पत्ति को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किए। अग्रवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही उनके खिलाफ जांच की अनुमति दे दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि जिस समय यह कार्रवाई हुई, उस समय अग्रवाल देश में नहीं थे।

रोहतगी ने कहा कि अग्रवाल एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और उनका करियर अब तक बेदाग रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी ने अपने द्वारा खरीदे गए सभी विला का पूरा ब्योरा दिया था और उनका उल्लेख अपने आयकर रिटर्न में भी किया था।

उन्होंने आगे बताया कि हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की है।

अग्रवाल के वकील ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई से सुरक्षा देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पूरी कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बुलडोज़र चलाने के लिए इच्छाशक्ति चाहिए- योगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 नवम्बर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयारियां तेज हो रहीहैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को लेकर एक तीखी टिप्पणी की है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''बुलडोजर की बात करना आसान है,

- योगी की टिप्पणी ने यूपी की राजनीति में हलचल मचाई।

लेकिन हर कोई उसका स्टेयरिंग नहीं संभाल सकता। इसे चलाने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति और काम को पूरा करने का दृढ़ संकल्प होना जरूरी है।'' उनके इस बयान से एक बार फिर उनकी सरकार की राजनीतिक पहचान के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक, बुलडोजर पर ध्यान केन्द्रित हो गया है।

एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने ''कट्टा'' से लेकर ब्रह्मोस तक के उत्तर प्रदेश के सफर का जिक्र किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्षों में समाजवादी पार्टी के शासन पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, जो पहले ''कट्टों'' (देसी तमंचों) और बमों के लिए जाना जाता था, वह आज ब्रह्मोस मिसाइल और एके राइफलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है।

'महिला आरक्षण में एस.सी./एस.टी. के लिए अलग ''कोटा'' हो'

मायावती ने यह मांग, लोकसभा में महिला आरक्षण पर बहस से दो दिन पहले उठाई

- मायावती का तर्क है, एस.सी./एस.टी. महिलाएं सदियों से शोषण, दमन व अवहेलना का विशेष रूप से सामना कर रही हैं तथा चुनावों में बाहुबल तथा धनबल के प्रभाव के कारण एस.सी./एस.टी. महिलाएं सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले पाती हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 नवम्बर। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने शनिवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के केन्द्र सरकार के कदम का स्वागत किया। साथ ही, उन्होंने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग भी की। उनका यह बयान सोमवार से शुरू होने वाले लोकसभा सत्र से दो दिन पहले आया है।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में किए गए कई पोस्ट के जरिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की महिलाओं को चुनावी राजनीति में आने के लिए अधिक अवसरों की जरूरत है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि प्रस्तावित विधेयक को आगे बढ़ाते समय, बीएसपी की इस मांग पर भी विचार किया जाए।

मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया है। यह डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।

उन्होंने कहा, ''हालांकि, यह और भी अच्छा होता और वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम साबित होता, यदि इस आरक्षण के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाता, क्योंकि इन महिलाओं को सदियों तक शोषण, अत्याचार और उपेक्षा झेलनी पड़ी है।''

बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव, चुनावों में धनबल और बाहुबल (डराने-धमकाने की ताकत) का प्रभाव तथा सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण, इन समुदायों की महिलाओं के लिए सक्रिय राजनीति में प्रवेश करना अक्सर मुश्किल होता है।

सितम्बर 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून में पहले से ही यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक-तिहाई सीटें इन्हीं समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

इन सीटों को महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिशत आरक्षण का ही हिस्सा माना जाएगा।

'पवार सदा ही पीठ में छुरा भोंकते हैं'

कांग्रेस ने पवार को बहुत भद्दे शब्दों में कोसा

- कांग्रेस के विधानसभा में नेता विजय कटियार ने कहा, ''पवार की कोई आइडियोलॉजी'' नहीं है, उन्हें केवल सत्ता की भूख है। कटियार ने कटुता भरे शब्दों में कहा, ''पवार को फुले, शाहू, अंबेडकर व यशवंत राव चह्वाण का अब कभी नाम लेने का हक नहीं है।''
- जैसा कि विदित ही है, यशवंत राव चह्वाण, शरद पवार के ''मैंटर'' (गुरु व करियर बनाने वाले) माने जाते हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 नवम्बर। परिसीमन के मुद्दे पर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विपक्षी खेमे से अलग होने और प्रस्तावित परिसीमन कानून पर भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार का समर्थन करने की घोषणा से महाराष्ट्र कांग्रेस नाराज़ है और उसने एन.सी.पी. पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने शरद पवार और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को याद दिलाया कि इसी साल राज्यसभा चुनाव के दौरान, उसने वरिष्ठ पवार को दोबारा राज्यसभा भेजने के लिए उनका समर्थन किया था। वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने एनसीपी को ''सत्ता की भूखी'' पार्टी बताया।

वडेट्टीवार ने बिना किसी लाग-लपेट के कड़े शब्दों में हमला करते हुए कहा कि पवार का ''इतिहास लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का रहा है।'' उन्होंने कहा, ''उनकी हालत पानी से बाहर निकली मछली जैसी हो गई है। उनकी कोई वास्तविक विचारधारा नहीं है। हमने पवार को राज्यसभा भेजा था, लेकिन जब लोकतंत्र को नष्ट करने वालों का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें निश्चित रुप से उनका नाम जरूर शामिल होगा। पवार की पार्टी ने जो किया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है।''

महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को याद दिलाया कि इसी साल कांग्रेस ने 85 वर्षीय वरिष्ठ नेता (शरद पवार) को दोबारा राज्यसभा भेजने के लिए राज्यसभा सीट पर अपना दावा छोड़ दिया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री मान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे जेल में बंद अमृतपाल

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 नवम्बर। कट्टरपंथी सिख एक्टिविस्ट अमृतपाल सिंह, जो जेल में रहते हुए 2024 में लोकसभा सांसद बने थे, 2027 में होने वाले

- कट्टरपंथी सिख सांसद गत तीन साल से जेल में हैं।

पंजाब विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। वे एक नहीं, बल्कि दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद होने के बावजूद, उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। इनमें से एक सीट धूरी होगी, जहां उनका मुकाबला मुख्यमंत्री भगवंत मान से हो सकता है। धूरी पंजाब के तीन क्षेत्रों में सबसे बड़े क्षेत्र, मालवा के केन्द्र में स्थित है।

33 वर्षीय अमृतपाल सिंह अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने कलकत्ता में स्पीकर का निर्णय अस्वीकार किया

हाई कोर्ट ने विद्रोही तृणमूल कांग्रेस के विधायक, ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष का नेता पद का हकदार भी मानने की स्वीकृति नहीं दी तथा फिलहाल ममता बनर्जी के खेमे के शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी

- पर, स्पीकर के निर्णय से काफी अनिश्चितता व्याप्त हुई है, क्योंकि एक ही सांस में हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर यह निर्णय लेंगे कि विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन हो?
- ऋतब्रत खेमे को तृणमूल कांग्रेस के 58-60 निर्वाचित विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि ममता बनर्जी के खेमे को केवल लगभग बीस विधायकों का समर्थन मिला हुआ है।
- पर, एक और जटिलता है कि तृणमूल कांग्रेस (ममता बनर्जी खेमे) ने जो पत्र स्पीकर का लिखा है, उसमें कई हस्ताक्षर फर्जी पाए गए हैं। इस जाली हस्ताक्षरों के मामले में मुख्य आरोपी ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 नवम्बर। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसे लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अनिश्चितता पैदा कर दी है।

अदालत ने बागी तृणमूल कांग्रेस विधायक ऋतब्रत बंद्योपाध्याय की नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्ति रद्द कर दी है। फिलहाल के लिए, अदालत ने ममता गुट की पसंद शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार किया है।

एकल न्यायाधीश की पीठ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें ऋतब्रत को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया था। साथ ही, भ्रम की स्थिति को और बढ़ाते हुए अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नए विधानसभा अध्यक्ष ही

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

UDGAM · Unclaimed Deposits Gateway To Access Information

अपने बैंक में 10 वर्ष से अधिक समय से बिना दावे के पड़े अपने पैसे को उपयोग में लाने का समाधान पाएँ



UDGAM पर जाएँ और बैंक से इसका दावा करें

- UDGAM पोर्टल पर लॉग इन करें
- खाताधारक का नाम, पता, बैंक का नाम और जन्म तिथि, पैन कार्ड इत्यादि विवरण का उपयोग करके खोजें

UDGAM केवल एक खोज सुविधा है। बिना दावे वाली जमाराशियों का दावा संबंधित बैंक(ओं) से करना होगा।



UDGAM पोर्टल पर बैंकों की सूची उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए, https://rbikehtahai.rbi.org.in/UDGAM पर जाएँ
आरबीआई जन-जागरूकता संदेश
अपने आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर से भेजता है
99990 41935 / 99309 91935

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in